


948



न्यायालय:- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क. /2012 अपील निगरानी R-498-II/2012

श्री आर. कृष्ण शर्मा
द्वारा आज दि 29-2-12 को
प्रस्तुत

कट्टू
घरकट्टू
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Rosny
आदि (श्री. श्री. श्री.)
89-2-12
Amend order
Court order
dated 3-4-12
Rosny

1. मुन्ना तनय बल्दुवा अहिरवार
 2. सुन्दर तनय बल्दुवा अहिरवार
- निवासीगण बौड़ा तह. व जिला
छतरपुर म.प्र.

आवेदनकर्ता

अपील निगरानी

बनाम

कट्टू तनय बल्दुवा अहिरवार निवासी
बौड़ा तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

रेस्पोंडेन्ट

निगरानी
अपील अन्तर्गत धारा 50 (44)(1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता
बिरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार महोदय क्षेत्र ईसानगर
तह. व जिला छतरपुर म.प्र. के सीमांकन प्र.क.
5/अ-12/2011-12 में जारी आदेश दिनांक 17.01.
2012 से परिवेदित हो कर निगरानी अपील समयावाधि में प्रस्तुत
है।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि, रेस्पोंडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में
भूमि खसरा क्र. 608, 609, 611 स्थित ग्राम बौड़ा का सीमांकन कराने हेतु
नायब तहसीलदार ईसानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें
पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा गुप्त रूप से बिना मिड़ौही काश्तकारों को
सूचना दिये बिना रेस्पोंडेन्ट का सीमांकन कर पंचनामा फर्जी रूप से तैयार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-498-दो/2012

जिला छतरपुर

मुन्ना विरूद्ध कट्टू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार ईसानगर तहसील छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-01-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>20/2/2019</p>